न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–5 / 2024 दायर दिनांक: 15.3.2024
GCMS NO:- 2024/39 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

रामजानकी पत्नी बाबूलाल जाति खटीक नि0 वार्ड नम्बर 16 नैनवॉ तहसील नैनवॉ।

– प्रार्थीया

बनाम

घांसी आ0 मोतीलाल जाति धाकड नि0 भावपुरा तहसील नैनवॉ वगैरह। (कुल 10)

–प्रत्यार्थीगण

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251क एआर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थी की ओर से वकील श्री राजेन्द्र नागर।

निर्णय दिनांक 30.05.2025

:–निर्णय–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम भावपुरा प.म. धानुगांव तहसील नैनवॉ मे खसरा नम्बर 102, 199, 212, 282, 534 कुल किता 5 कुल रकबा 3.7861 हैक्टयर भूमि स्थित है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि प्रार्थीया की सहखातेदारी अधिकार की कृषि भूमि है। उक्त भूमि का प्रार्थीया व अन्य सहखातेदारान ने आपसी सहमति से विभाजन कर रखा है जिसके अनुसार प्रार्थीया के हिस्से मे प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित कृषि भूमि मे से भूमि खसरा नम्बर 282 रकबा 1.1002 हैक्टयर भूमि आयी है तथा अन्य सहखातेदारान के हिस्से मे अन्य नम्बर की कृषि भूमि आयी है। विभाजन के बाद से ही प्रार्थीया अपने हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 282 पर काबिज काश्त होकर खेती करती चली आ रही है।

यह कि उक्त खसरा नम्बर 282 पर आने जाने का एकमात्र रास्ता ग्राम भावपुरा से ग्राम भावपुरा के माल मे जाने वाले गै0मु0 रास्ता खसरा नम्बर 293, 294 मे होता हुआ खसरा नम्बर 289 व 284 के मध्य की मेड पर होता हुआ खसरा नम्बरा 285, 284 तथा खसरा नम्बर 276 व 284 के मध्य की मेड पर हेाता हुआ खसरा नम्बर 282 मे पहुंचता है जो करीब 20 फीट चौडा है। उक्त रास्ते को परिशिष्ट अ मे लाल स्याही से दर्शाया हुआ है। प्रार्थीया परिशिष्ट अ मे दर्शाये गए रास्ते अनुसार रास्ते का उपयोग उपभोग कर अपने कृषि उपकरणों व जानवरों को लाने ले जाने के काम मे शांतिपूर्वक बदस्तुर करती चली आ रही है। दिनांक 30.1.2024 को जब प्रार्थीया खसरा नम्बर 282 पर फसल को संभालने जा रही थी इतने मे ही प्रत्यार्थीगण संख्या 1 लगायत 9 प्रार्थीया के आडे फिर गये और कहने लगे कि तुम्हारी इस रास्ते पर से होकर निकलने की हिम्मत कैसे हुई। यह कहकर प्रत्यार्थीगण गाली गलौच करने लगे। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। हमने प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेजों का अद्योपान्त अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थीया द्वारा जिस खसरा नम्बर 282 पर जाने के लिए रास्ता चाहा गया है, वह शामलाती खाते की भूमि है जिसका विधिवत रूप से विभाजन नही हुआ है तथा बिना विभाजन इस पत्रावली मे धारा 251क के तहत् रास्ता दिया जाना न्यायोचित अथवा विधि सम्मत नही है अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 30.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवॉ